न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 14 / 2024
दायर दिनांक : 09 / 05 / 2024
निर्णय दिनांक : 23 / 01 / 2025

उनवान

1. पदमकुमार पहलवानी पिता बालचन्द पहलवानी निवासी 27, सर्वऋतु विलास, उदयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति : 1. श्री आसिफ ईकबाल, अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थी की और से एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से है :

यह कि रूपखेड़ा उर्फ धन्नाखेड़ा पटवार हल्का उसरोल तहसील भूपालसागर के हाल आ.सं. 331 रकबा 0.2000 है., आ.सं. 544 / 328 रकबा 0.4400 है., आ.सं. 543 / 331 रकबा 0.2000 है., आ.सं. 542 / 328 रकबा 0.2300 है., अ.स. 328 रकबा 0.2300 है. स्थित है, वजह सबूत नकल जमाबंदी हाल प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उक्त आराजियात में से आ.सं. 542 / 328 का पूर्व में संपरिवर्तन श्री भगवतीलाल पिता श्री रामलाल तथा आ.सं. 331 तथा 328 का संपरिवर्तन नवला पिता देवा मीणा तथा आ.सं. 541 / 331 व 540 / 328 का संपरिवर्तन श्रीमती फूलीबाई पत्नी रामलाल मीणा के द्वारा करवाया गया उक्त सम्पूर्ण आराजियात के कुलिया रकबे को प्रार्थी के द्वारा दिनांक 01.1.2023 को क्रय किया गया। संपरिवर्तन के पश्चात पटवारी साहब उसरोल द्वारा हाल जमाबंदी में व नक्शे में आराजीयात का अंकन किया गया व जमाबंदी जारी की गई। वर्तमान में सभी राजस्व रिकार्ड को राज्य सरकार के आदेशानुसार ऑनलाईन किया गया जिसमें प्रार्थना पत्र की कॉलम सं. 1 में वर्णित आराजी जो कि गलत दर्ज हो गये हैं वास्तविकता में व तात्कालिक हाल राजस्व रिकार्ड के मुकाबले गलत है। आ.सं. 331 के सही व वास्तविक आराजी नं. 331 मी., 544 / 328 के सही व वास्तविक आराजी नं. 542 / 328, 542 / 328 के सही व वास्तविक आ.सं. 540 / 328, [illegible] 328 मी., 543 / 331 के सही व वास्तविक आ.सं. 541 / 331 है। आ.सं. 543 / 331 [illegible] दर्ज कर दी गई है जिसे दुरूस्त कर आवासीय करके सही व वास्तविक आराजी नं. [illegible] प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार, भूपालसागर के यहां दुरूस्ती हेतु दिनांक 04.03.2024 को [illegible] पत्र पेश किया तो मना कर दिया इसलिए प्रार्थना पत्र कारण दिनांक [illegible] है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि ऑनलाईन रिकार्ड में व नक्शे [illegible] कॉलम सं. 1 में वर्णित आराजियात को आ.सं. 331 के सही व वास्तविक आराजी नं. 331 मी., 544 / 328 के सही व वास्तविक आ.सं. 542 / 328, 542 / 328 के सही व वास्तविक आ.सं. 540 / 328, आ.सं. 328 के सही व वास्तविक आराजी नं. 328 मी., 543 / 331 के सही व वास्तविक आ.सं. 541 / 331 है। आ.सं. 543 / 331 की किस्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.11 10:07:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

श्मशान दर्ज कर दी गई है जिसे दुरूस्त कर आवासीय करके सही व वास्तविक आराजी दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये बाद सम्मन तामील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी तहसीलदार, भूपालसागर ने अपने जवाब में अंकित किया है कि ग्राम रूपाखेड़ा उर्फ धन्नाखेड़ा में ई.नं. 105 से पन्नीबाई बेवा प्यारा, मांगू, बालू, भैरू, नानी पिता मोती भील के तत्कालीन खाता सं. 33 किता 10 रकबा 2.54 है. का बंटवारा हुआ जिसमें खातेदार भैरू, नानी, पिता मोती भील को नये आ.सं. 539/462, 540/463, 541/459 दर्ज हुऐ। ई. नं. 148 जरिये विक्रय से आ.सं. 328, 331 से श्रीमती फूली बाई पत्नी रामलाल मीणा नि. जाटों का खेड़ा को आ.सं. 540/328, 541/331 व नवला पिता देवा मीणा नि. मोडी तह. वल्लभनगर को आ.स. 328 मी. व 331 मी. दर्ज हुऐ व खातेदार भगवतीलाल पिता रामलाल मीणा निवासी जाटों का खेड़ा तह. वल्लभनगर को आ.स. 542/328 दर्ज हुऐ। ई.नं. 153 से श्रीमती फूलीबाई पत्नी रामलाल मीणा नि. जाटों का खेड़ा तह. वल्लभनगर आ.सं. 540/328, 541/331 का आवासीय संपरिवर्तन हुआ। ई.नं. 154 से नवला पिता देवा मीणा सा. मोडी तह. वल्लभनगर की आ.सं. 328 मी. व 331 मी. का आवासीय संपरिवर्तन हुआ। ई.नं. 155 से भगवतीलाल पिता रामलाल मीणा सा. जाटों का खेड़ा तह. वल्लभनगर के आ.सं. 542/328 का आवासीय संपरिवर्तन हुआ। ई.नं. 174 से आ.सं. 543/449 रकबा 0.20 है. का आवंटन सार्वजनिक श्मशान रूपपुरा के लिये हुआ। वर्ष 2019 में सेग्रीगेशन का कार्य होने से आ.सं. 540/463, 541/459, 540/328, 541/331 दो बार दर्ज होने बटा नंबर को आरोही क्रम में बढते हुऐ नंबर दिये जाने से आ. सं. 540/328 को 547/328 व आ.सं. 541/331 को आ.सं. 543/331 व आ.स. 542/328 को 544/328 दर्ज किया गया व 543/449 को 545/449 दर्ज किया गया। हाल जमाबंदी में खाता सं. 51 में खातेदार फूली पत्नी रामलाल मीणा के आ.सं. 545/449 रकबा 0.20 है. दर्ज हो गया। उक्त आराजी के बजाय आ.सं. 543/331 के बजाय आ.सं. 545/449 रकबा 0.20 है. दर्ज होगा। नक्शे में आ.सं. 543/331 का सही अंकन है खाता सं. 1 व 51 में खसरा नं. की किस्म सही दर्ज है। इस प्रकार खसरा नंबर की अंतिम स्थिति इस प्रकार है : पुराना ख.नं. 540/328 के 542/328, 542/328 के 544/328, 541/331 के 543/331, 328 मी. के 328, 331 मी. के 331 मौके पर नक्शे अनुसार खातेदार काबिज है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों, अप्रार्थी के जवाब एवं वकील प्रार्थी की बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम रूपखेड़ा उर्फ धन्ना का खेड़ा तहसील भूपालसागर वर्तमान में खाता सं. 1 में दर्ज आ.सं. 543/331 को खाता सं. 51 में दर्ज 545/449 श्मशान भूमि के स्थान पर आ.सं. 543/331 एवं एवं खाता सं. 1 में दर्ज आ.सं. 543/331 के बजाय 545/449 दर्ज कर भूमि की किस्म यथावत रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.11 10:07:06 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर